



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@harkhandmail.gov.in

पत्रांक: IIE-19(A)90/15

दिनांक:

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, राँची।  
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/  
सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी।

विषय:

सड़क/नहर किनारे अथवा सरकारी भूमि (अधिसूचित वन सीमा से नहर पर अवस्थित सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वन पदार्थों तथा परिपक्व वृक्षों के विदोहन विपणन एवं परिवहन संबंधी नियमावली को प्रस्तावित करने के संबंध में।

प्रसंग:

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 2052 दिनांक 15.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रस्तावित "झारखंड वृक्ष विक्रय नियमावली 2016" पर सुविचारित मंतव्य से इस कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर अवगत कराने की कृपा की जाय, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक: 3845

दिनांक: 3-10-16

प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट में upload करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, राँची।



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

☎ : - 06542-265440

Email - bokarorccf@gmail.com

(31)

पत्रांक : 2052/

दिनांक : 15/09/16

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

विषय :- सड़क/नहर किनारे अथवा सरकारी भूमि (अधिसूचित वन सीमा से बाहर) पर अवस्थित सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वन पदार्थों तथा परिपक्व वृक्षों के विदोहन, विपणन एवं परिवहन संबंधी नियमावली को प्रस्तावित करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका कार्यालय आदेश संख्या 104 ज्ञापांक 1949 दिनांक 27.05.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा गठित समिति द्वारा सड़क/नहर किनारे अथवा सरकारी भूमि (अधिसूचित वन सीमा से बाहर) पर अवस्थित सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वन पदार्थों तथा परिपक्व वृक्षों के विदोहन, विपणन एवं परिवहन संबंधी प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत "झारखण्ड वृक्ष विक्रय नियमावली, 2016" का ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० - यथोक्त।

आपका विश्वासी

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
बोकारो।

8305

Draft

(14)

## झारखण्ड वृक्ष विक्रय नियमावली, 2016

संस्था - वन विक्रय -

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-76 की उपधारा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल अधिसूचित वन भूमि के बाहर सरकारी भूमि पर अवस्थित बड़े पैमाने पर सूखे/गिरे, रूग्ण, मृत हो रहे वृक्षों की बिक्री को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली द्रवित है :-

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- (1) यह नियमावली "झारखण्ड वृक्ष-विक्रय नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।
- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) वन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

### 2. नियमावली का प्रभाव क्षेत्र - यह नियमावली अधिसूचित वन भूमि के बाहर सरकारी भूमि के विभिन्न स्थलों एवं सड़क/नहर किनारे पर छिटपुट संख्या में उपलब्ध सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वृक्षों तथा परिपक्व कीमती विदोहन योग्य प्रकाष्ठ प्रजातियों यथा सागवान, शीशम, गम्हार आदि की बिक्री पर भी लागू होगी। आम, जामुन आदि फलदार वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा। सिर्फ सूखे, गिरे पड़े या क्षति पहुँचाने वाले फलदार वृक्षों यथा आम, जामुन आदि का विदोहन किया जा सकेगा।

### 3. विक्रय एवं निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया :-

- (1) सूखे खड़े/गिरे, रूग्ण, मृत हो रहे वृक्षों की बिक्री "जहाँ है जैसा है" के आधार पर संबंधित प्रादेशिक वन प्रमण्डल द्वारा सरकारी भूमि का स्वामित्व रखने वाले सरकारी विभाग/संस्थान आदि के अनुरोध पर की जायेगी।
- (2) वृक्षों की बिक्री एक या एक से अधिक किलोमीटर क्षेत्र के भीतर के वृक्षों को एक लौट बनाकर की जायेगी।
- (3) बिक्री मुहरबंद निविदा आमंत्रित कर स्थल पर से ही की जायेगी।
- (4) निविदा सूचना का प्रकाशन-राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से, निविदा प्राप्ति हेतु नियत तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व किया जायेगा।

### 4. बिक्री हेतु लौट निर्माण की प्रक्रिया -

- (1) प्रत्येक वन प्रमण्डल के सीमाक्षेत्र में बेचे जानेवाले वृक्षों के एक या एक से अधिक किलोमीटर के पट्टी क्षेत्र का एक-एक लौट बनाया जायेगा। सड़क/तटबंध/नहर आदि की दशा में प्रत्येक किलोमीटर में दोनों किनारों पर खड़े वृक्षों का केवल एक लौट होगा।
- (2) प्रत्येक लौट को एक निश्चित संख्या द्वारा चिह्नित किया जायगा जिसे अब से लौट संख्या कहा जायेगा।

ऐसी जगहों पर मोटे पेड़ों की छाल छीलकर या धातु का पतला चदरा चिपकाकर उस पर लौट संख्या लिखी जायेगी जो आसानी से देखी जा सके।

लौट के नाम से, लौट संख्या के अतिरिक्त पथ/बांध/नहर का नाम जुड़ा होगा। उदाहरणस्वरूप यदि खूँटी प्रमण्डल के एन0एच 33 पर कोई लौट बनाया जाता है तो उसका नाम लौट संख्या ...../वर्ष...../एन0एच0 33 .....कि0मी0 से ..... कि0मी0 तक खूँटी वन प्रमण्डल होगा।

- (3) जिन क्षेत्रों (रेखिक क्षेत्र) में बेचे जाने वाले पेड़ों की संख्या इतनी कम हो कि एक किलोमीटर का एक लौट बिक्री योग्य नहीं हो तो एक किलोमीटर से अधिक लम्बाई में अवस्थित पेड़ों को मिलाकर एक लौट बनाया जा सकेगा।

- (4) प्रत्येक वन प्रमण्डल में प्रत्येक एक एकड़ लॉट को एक सूची प्रति वर्ष जनवरी माह में प्रमण्डल के निदेशों के अनुसार प्रमण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें प्रजातिवार पेड़ों की संख्या एवं उसकी गणनाई छाल के साथ भू-स्तर से ऊपर छाती की ऊँचाई (4 फीट 6 इंच) पर होगा।
- (5) निविदा में बिक्री हेतु रखे गये लॉटों की सूची को प्रमण्डल विशेष की बिक्रय-सूची कही जायेगी जिसमें विभिन्न लॉटों का नाम, प्रजातिवार पेड़ों की संख्या एवं सुरक्षित मूल्य अंकित रहेगा।

#### 5. निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) प्रत्येक निविदा विहित प्रपत्र में ही समाहित की जायेगी। निविदा प्रपत्र प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय से निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगा।
- (2) निविदा प्रपत्र कार्यालय प्रधान द्वारा कमांड, मुहर और हस्ताक्षर के साथ निर्गत किया जायेगा।
- (3) एक निविदा प्रपत्र में केवल एक लॉट के लिए निविदा भरी जायेगी। एक लॉट के लिए एक से अधिक निविदा प्राप्ति की दशा में केवल उच्चतम बोली की निविदा पर विचार किया जायेगा।
- (4) वैसी कम्पनी, जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत निर्बंधित हो, के द्वारा प्राधिकृत निदेशक तथा वैसे निर्बंधित पार्टनरशिप फर्म, जिनका निर्बंधन पार्टनरशिप ऐक्ट के तहत हुआ हो, के प्रबंध भागीदार या कोई भी प्राधिकृत भागीदार को निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। पार्टनरशिप डीड आदि अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ इनसे संबंधित दस्तावेज को वन विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष निविदा खोलते समय प्रस्तुत करने होंगे। यदि उपर्युक्त उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निविदा रद्द की जा सकती है। दिये गये दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दस्तावेजों की मूल प्रति वापस कर दी जायेगी।
- (5) शर्त निविदा या विहित रीति से अन्यथा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (6) प्रत्येक निविदादाता, निविदा प्रपत्र भरकर अन्य सभी अपेक्षित अभिलेखों, तथा नियम 5(11) (1) के अनुसार अग्रधन की राशि के साथ निविदा समर्पित करेगा।
- (7) सभी प्रकार से पूर्ण निविदा मुहरबंद लिफाफे में दी जायेगी। निविदादाता वन विभाग के उस कार्यालय-प्रधान का पता लिखेगा जहाँ निविदादाता निविदा अर्पित कर रहा है।
- (8) केवल अनुसूचित तिथि एवं समय पर प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जायेगा। निविदा सिर्फ प्रमण्डलीय कार्यालयों में ही प्राप्त किये जायेंगे।
- (9) निविदादाताओं द्वारा निविदा में भागीदारी से ही यह माना जायेगा कि उन्हें वृक्षों की बिक्री हेतु निर्धारित नियम एवं संविदा की सभी शर्तें उनको बिना शर्त स्वीकार्य हैं एवं निविदा की सभी शर्तें एवं निर्बंधन केता के साथ की जानेवाली संविदा के भाग होंगे।
- (10) निविदादाताओं से यह अपेक्षित है, कि वे निविदा समर्पित करने के पूर्व ईच्छित लॉट में वृक्षों की उपलब्धता एवं वनोपज की अनुमानित मात्रा एवं गुणवत्ता आदि से संतुष्ट हो लें। निविदा समर्पण के उपरान्त, अनुमानित मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में निविदादाताओं की आपत्ति या अन्यथा किसी दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) निविदा के साथ जमा किया जानेवाला अग्रधन :-

- (1) प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन की नियत राशि संलग्न रहने पर ही निविदा स्वीकार्य होगी। अग्रधन की राशि निम्न रूप में होगी।

क्र० सं०	निविदा में उद्युत शुद्ध राशि (रु० में)	देय अग्रधन राशि (रु० में)
(क)	1 लाख रुपये तक	5,000.00 रु०
(ख)	1 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक	15,000.00 रु०

(ग)	2 लाख 00 हजार 00 हजार तक	25,000.00 रु०
(घ)	5 लाख 00 हजार तक	50,000.00 रु०

(2) असफल निविदादाताओं को अग्रधन की राशि उन्हें लिखित अनुरोध पर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

(3) सफल निविदादाताओं द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि प्रतिभूमि राशि में समजनीय होगी।

#### 6. निविदा खोले जाने की प्रक्रिया

(1) प्राप्त निविदाओं को अनुसूचित समय पर निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायेगा और उनके समक्ष निविदाओं में उद्धृत दरों की घोषणा की जायेगी।

(2) यदि किसी लॉट के लिये एक ही दर एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा उद्धृत की गयी है तो उस लॉट की बिक्री लौटरी के माध्यम से की जायेगी. लौटरी के द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित कंटाओं पर बाध्यकारी होगा।

(3) यदि कोई निविदादाता निविदा खोलते समय कोई व्यवधान करता है या शांति व्यवस्था बनाये रखने में समस्याएँ उत्पन्न करता है तो उस निविदादाता द्वारा दी गयी निविदा अविधिमान्य घोषित कर दी जायेगी, अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी और उसके विरुद्ध अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी निम्नलिखित अधिकारों को सुरक्षित रख सकेगा :-

(क) निविदा में अर्पित दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करना,

(ख) किसी भी लॉट को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये बिक्री से वापस लेना।

#### 7. निविदा स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया :-

(1) विक्रय का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने के बाद संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय से सफल निविदादाताओं को बिक्री के अनुमोदन संबंधी जानकारी संसूचित की जायेगी।

(2) अपने निविदा के अनुमोदन संबंधी जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेवारी स्वयं निविदादाता की होगी।

(3) सफल निविदादाता को विक्रय की जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित उनके पत्राचार के पते पर प्रेषित की जायेगी।

(4) निविदादाताओं को अपने पत्राचार का सही पता निविदा प्रपत्र में लिखना चाहिए। डाक में पत्र खोने या पत्र वापस आने या उन्हें हस्तगत न होने की जिम्मेवारी वन विभाग की नहीं होगी।

(5) विक्रय के अनुमोदन की जानकारी प्राप्त होने अथवा वन प्रमण्डलीय कार्यालय से अनुमोदन पत्र प्रेषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सफल निविदादाता नियम 8 के अनुसार अध्यपेक्षित प्रतिभूमि राशि जमा करेगा और संविदा पर हस्ताक्षर करेगा। यदि विहित अवधि के भीतर प्रतिभूमि राशि जमा न की गयी हो और संविदा हस्ताक्षरित न की गयी हो तो निविदा की स्वीकृति स्वतः रद्द समझी जायेगी और अग्रधन की राशि बिना कोई सूचना दिये समपहृत कर ली जायेगी और ऐसे सफल निविदादाता काली सूचीकृत कर दिये जायेंगे। विक्रय के अनुमोदन के बाद यदि उच्चतम बोली लगाने वाला निविदादाता अनुसूचित समय के भीतर प्रतिभूमि राशि जमा करने और संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले निविदादाता को प्रथम निविदा रद्द होने के 15 दिनों के अन्दर प्रतिभूमि राशि जमा करने और संविदा पर हस्ताक्षर कराने के पश्चात् प्रथम उच्चतम दर पर लॉट क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसी दशा में द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाला निविदादाता लॉट का कंटा होगा। यदि द्वितीय निविदादाता उच्चतम दर पर क्रय करने में सहमत नहीं हो अथवा संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वन विभाग ऐसे लॉटों को दूसरा बिक्री हेतु स्वतंत्र हस्ताक्षर कर ली सूचीकृत कंटा का भाग लेने का अधिकार नहीं

25

होगा। कार्टी सूचीकृत क्रेताओं को 10 दिनों में प्रमाण पत्र विक्री किये जाने वाले अन्य लौटों की विक्री में भी अगले दो वर्षों तक भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

(6) सफल निविदादाताओं को वन विभाग से निविदा के माध्यम से खरीदे गये लौट को किसी अन्य व्यक्ति को पुनः उसी लौट के रूप में पूरे या अंश लौट बिक्री करने या हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके साथ की गयी संविदा रद्द कर दी जायेगी और उनके द्वारा जमा की गयी राशि समग्रित कर ली जायेगी।

#### 8. प्रतिभूमि राशि एवं संविदा पर हस्ताक्षर -

(1) विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रु0 जो भी अधिक हो, सफल निविदादाता प्रतिभूमि राशि के रूप में जमा करेंगे और संविदा पर स्वयं हस्ताक्षर करेगा।

(2) किसी कम्पनी या पार्टनरशिप फर्म द्वारा अर्पित निविदा की स्वीकृति की स्थिति में नियम 5(4) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) सफल निविदादाता संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित लौट का क्रेता कहा जायेगा।

#### 9. विक्रय का रेटिफिकेशन -

(1) सामान्यतः संविदा हस्ताक्षर के उपरान्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा क्रेता को संबंधित लौट का रेटिफिकेशन पत्र उसी दिन दे दिया जायेगा यदि किसी कारणवश उन दिन यह सम्भव नहीं हो तो अगले कार्य दिवस को क्रेता को हस्तगत करा दिया जायेगा।

(2) क्रेता वृक्षों के काटने, उसके घातन, प्रकाष्ठन, वनोत्पाद के निष्कासन, परिवहन आदि के लिये विहित किये गये नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, जो इस नियमावली के भाग माने जायेंगे।

#### 10. मूल्य एवं करों के भुगतान हेतु किस्त -

(1) क्रेता अपने द्वारा खरीदे गये लौट का मूल्य तथा उस राशि पर भुगतये बिक्री कर, कृषि बाजार कर, आय कर एवं अन्य सभी कर निम्नलिखित रीति से नियत किस्तों में यथा अनुसूचित तिथियों को संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में भुगतान करेगा।

(क) 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपया तक शुद्ध मूल्य के लौट के लिये शुद्ध मूल्य तथा उसकी भुगतये करों को एक किस्त में रेटिफिकेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर जमा किया जायेगा।

(ख) 25,001 से 50,000 (पच्चीस हजार एक से पचास हजार) रूपया तक शुद्ध मूल्य के लाभ के लिए शुद्ध मूल्य तथा उस पर भुगतये करों को दो बराबर किस्तों में जमा किया जायेगा। प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त रेटिफिकेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से क्रमशः 10 दिनों तथा 30 दिनों के भीतर जमा किये जायेंगे।

(ग) 50,001/- (पचास हजार एक) या इससे अधिक शुद्ध मूल्य के लौट के लिए शुद्ध मूल्य तथा उसपर भुगतये सभी करों को चार बराबर किस्तों में जमा किया जायेगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त रेटिफिकेशन निर्गत होने की तिथि से क्रमशः 10, 20, 30 एवं 45 दिनों के भीतर जमा किये जायेंगे। करों का भुगतान तत्समय विद्यमान नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

(2) कय किये गये लौट का पूरा मूल्य कर सहित एक किस्त में जमा करके पूरे लौट में कार्य करने का आदेश प्राप्त किया जा सकेगा। यदि क्रेता किस्तों में राशि का भुगतान करते हैं तो उन्हें कार्यदेश भी जमा की गयी राशि के अनुपात में ही दिया जायेगा।

(3) अग्रधन, प्रतिभूमि - राशि किस्तों, करों एवं शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा जो संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उनके मुख्यालय में अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतये हो। पांच हजार रु0 से कम की राशि नगद भी प्राप्त की जा सकेगी।

करों से संबंधित राशि अलग-अलग बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

(2) प्रत्येक वृक्ष की उचित विधि अर्थात् 10.00 घण्टा के दिन मनुकी - का प्रमण्डल डोक बाद वाले कार्य विवरण हो प्रमाणन की उचित विधि प्रमाणन प्रमाणन

### 11. संविदा का रद्दकरण -

- (1) नियत अवधि में देय किस्तों एवं उस पर देय कर आदि का भुगतान नहीं करने की दशा में कंता को नियत समय के पूर्व विद्यमान मूल्य की शेष राशि का फीस के रूप में 5 प्रतिशत कंता के लिखित आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा केवल एकबार संविदा का विस्तार किया जा सकेगा। यदि कंता संविदा का अवधि विस्तार नहीं करवाता है तो संविदा रद्द कर दी जायेगी और प्रतिभूति-राशि समपहृत कर ली जायेगी और इस संबंध में जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा कंता को भेज दी जायेगी।
- (2) रज्जवार रद्द संविदा पुनर्जीवित नहीं की जायेगी और बिना कार्य किये पूर्ण या अंश लौट की व्यवस्था किर से बिक्री की जा सकेगी जिस पर कंता का अधिकार नहीं होगा।

### 12. वृक्षों की बिक्री हेतु मार्किंग करने की प्रक्रिया -

- (1) नहर तट/पधपट/बांध इत्यादि के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग-अलग मार्किंग लिस्ट तैयार की जायेगी।
- (2) 45 से 0मी० या उससे अधिक गोलाई (सीने की ऊँचाई तथा 4'6" पर) के सभी वृक्षों को मार्किंग किया जायेगा।
- (3) मार्किंग किये गये सभी वृक्षों की सीने ऊँचाई (4'6") पर गोलाई की माप ली जायेगी। यह माप से 0मी० में होगी और मार्किंग लिस्ट में गोलाई दर्ज की जायेगी।
- (4) मार्किंग किये गये एवं बेचे जाने वाले प्रत्येक वृक्षों को सीने की ऊँचाई पर तथा जमीन के पेड़ की घास छीलकर, वृक्ष की संख्या काले पेंट से संख्याकित की जायेगी तथा नहीं बेचे जाने वाले वृक्षों को सीने की ऊँचाई पर वृक्ष की संख्या लाल पेंट से संख्याकित की जायेगी।
- (5) 45 से 0मी० से कम गोलाई के नहीं बेचे जाने वाले वृक्षों पर मार्किंग केवल सीने की ऊँचाई पर लाल रंग के पेंट के किया जाएगा तथा उनकी प्रजाति एवं संख्या मार्किंग लिस्ट में दर्ज की जायेगी फिर भी 45 से 0मी० से कम गोलाई के बेचे जाने वाले वृक्षों पर छाती की ऊँचाई स्तर एवं जमीन के पास दोनों स्थान पर या तो काला पेंट से अथवा धातु के पतले चादर पर मार्किंग की जायेगी।
- (6) बेचे जाने के लिए सूखे/गिरे बीमारग्रस्त, मूल वृक्षों की पातन-पंजी साथ ही साथ नहीं बेचे जाने वाले सभी हरे एवं स्वस्थ वृक्ष की पंजी भी पृथक रूप से तैयार की जायेगी। पातन पंजी के आधार पर बेचे जाने वाले वृक्षों की ही बिक्री एवं विदोहन किया जाएगा। हरे एवं स्वस्थ वृक्ष सामान्यतया नहीं काटे जाएंगे। यदि तकनीकी दृष्टिकोण से उनका पातन आवश्यक हो तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सहमति प्राप्त कर ऐसा किया जा सकेगा।
- (7) ऐसे रैखिक क्षेत्र जहाँ किलोमीटर का कोई संकेत उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ किसी स्पष्ट चिन्ह को शून्य मानकर आगे एक कि०मी० के लिए मार्किंग लिस्ट बनाई जायेगी।
- (8) जिन रैखिक क्षेत्रों जहाँ सड़क/नहर/बांध के दोनों तरफ वृक्ष होंगे, वहाँ मार्किंग करने का कार्य किसी एक ओर से आरम्भ करते हुए प्रारंभिक बिन्दु पर मार्किंग समाप्त की जायेगी।
- (9) प्रत्येक कि०मी० के दोनों सीमा पर अवस्थित वृक्षों पर पीले रंग के "पेंट" से दो ईंच चौड़ी विलय रिंग वृक्ष पर 4' की ऊँचाई पर मार्किंग किया जायेगा।
- (10) प्रत्येक कि०मी० के एक लौट को सामान्यतया दो खंडों (सेक्शन) में बांटा जायेगा। यदि आवश्यक हो तो लौट को दो से अधिक खंडों (सेक्शन) में बांटा जा सकेगा। खंडों का नियतिकरण उपलब्ध पेड़ों की संख्या को बराबर-बराबर विभक्त करके किया जायेगा।
- (11) मार्किंग लिस्ट छप्पे प्रपत्रों में तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी। जिसमें प्रथम प्रति वन क्षेत्र कार्यालय, दूसरी प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय और तीसरी प्रति कंता के लिए हो।

(12) मार्किंग लिस्ट बनरक्षी द्वारा तैयार की जायेगी।

(13) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक और वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रत्येक लौट के औसतन एवं न्यूनतम मार्किंग किये गये वृक्षों के क्रमशः 10%, 2% एवं 1% की मापी का सत्यापन करेंगे। सत्यापन में यह ध्यान रखा जायेगा कि भिन्न-भिन्न स्तरों के पदाधिकारी भिन्न-भिन्न वृक्षों का सत्यापन करें।

(14) काष्ठ जलावन, रोला, खूँटा इत्यादि की तादाद का अनुमान प्रत्येक लौट के लिए अलग-अलग किया जायेगा।

(15) एक कि०मी० की लम्बाई से कम लम्बी पट्टी को भी अलग लौट माना जा सकेगा और उसकी वास्तविक लम्बाई मार्किंग लिस्ट एवं लौट लिस्ट में दर्शायी जायेगी।

(16) उपर्युक्त सूचियों के वन प्रक्षेत्रवार संकलन, सारांश बनाने एवं संबंधित लिपिकीय कार्य हेतु तथा वृक्षों के मार्किंग करने का मजदूरी दर एवं उसपर उपगत होनेवाला आवश्यक व्यय लेखन सामग्री सहित, का मानक दर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

### 13. सुरक्षित मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया -

राज्य स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के द्वारा विभिन्न प्रजातियों के खड़े/गिरे वृक्षों के मानक बिक्री दर का निर्धारण किया जायेगा और उसी मानक दर के आधार पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी लौट के सुरक्षित मूल्य की गणना करेगा एवं उसे वन संरक्षक को अनुमोदन के लिए देगा। वन संरक्षक आवश्यक समीक्षा के बाद प्रस्ताव प्राप्ति के अधिकतम सात दिनों के भीतर उचित मूल्य को नियत कर देंगे।

### 14. वृक्ष पातन की प्रक्रिया -

(1) वन प्रमण्डल पदाधिकारी से लौट में कार्य करने संबंधी आदेश मिलने के बाद ही कंता द्वारा पातन कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(2) वृक्षों का पातन एक तरफ से आरम्भ कर बढ़ते क्रम में दूसरी तरफ लगातार होगा जो कंता के लौट का मूल्य कर सहित पातन आरम्भ करने में पूर्व जमा कर देंगे वे अपनी इच्छानुसार लौट में वैसे भी पातन कर सकेंगे।

ऐसे पातन के पश्चात्, खूँटे पर वृक्ष का नम्बर कंता द्वारा काला पेंट से मार्किंग लिस्ट के अनुरूप रेखांकित किया जायेगा।

पातन यथासम्भव, जमीन से सटा कर किया जायेगा किन्तु पेड़ के नीचे का मार्किंग सुरक्षित रखा जायेगा।

वृक्षों का पातन इस प्रकार किया जायेगा जिससे सड़क/नहर इत्यादि पर परिवहन आवागमन में कोई रुकावट/अस्त व्यस्तता न हो, और आसपास के क्षेत्रों में किसी चल या अचल सम्पदा की हानि न हो। यदि किसी सम्पदा का कोई नुकसान होता है तो पूरी जिम्मेवारी कंता की होगी और कंता को प्रतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में वन विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

(3) वृक्षों के पातन से सड़क-संचार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर कंता अपने खर्च से तुरन्त इसे बहाल करेगा।

(4) वृक्षों के पातन कंता द्वारा करते समय उन वृक्षों को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा जिनका पातन नहीं किया जाना है। किसी नुकसान की स्थिति में कंता को ही किए गये नुकसान की प्रतिपूर्ति करनी होगी। नुकसान का आकलन वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा और वन संरक्षक का निर्णय इस विषय में अन्तिम होगा।



- (5) वृक्ष के पातन के दौरान जानमान की कोई हानि न हो, इसके लिए सारी आवश्यक पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के उपाय करने की आवश्यकता केता की होगी। इसके बावजूद भी यदि कोई नुकसान हो जाता है तो प्रतिपूर्ति के भुगतान का वहन केता द्वारा किया जायेगा।
- (6) सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व कोई वृक्ष पातन नहीं किया जायेगा।
- (7) वृक्षों के पातन की गति तथा उसके निष्कासन और पासिंग की गति में केता द्वारा इस तरह से सज्जस्य रखा जायेगा जिससे स्थल पर काष्ठ का संग्रह कम से कम समय के लिए हो।
- (8) एक पातन खंड का पातन पूर्ण होने के बाद ही क्रमिक रूप से दूसरे पातन खंड में पातन का कार्य केता द्वारा आरम्भ किया जायेगा। किन्तु सम्पूर्ण कय मूल्य भुगतान कर देने पर केता के लिए यह बाध्यकर नहीं होगा।

#### 15. पातन पंजी संधारण सम्बन्धी प्रावधान -

- (1) केता द्वारा खरीदे गये प्रत्येक लॉट के पेड़ों की पातन पंजी संधारित की जायेगी। पातन पंजी में पूरे लॉट की वृक्ष संख्या दर्ज की जायेगी। पातन की तिथि और वृक्षों के प्रकाष्ठन के पश्चात् काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े की मापी भी पातन पंजी में दर्ज वृक्ष संख्या के सामने दर्ज की जायेगी।
- (2) प्रत्येक टुकड़े पर मार्किंग लिस्ट के अनुसार वृक्ष की संख्या और टुकड़ा संख्या केता द्वारा पेड़ के आकार से अधिक मोटाई वाले सिरे पर अंकित की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि 10 नं० लकड़ी के पाँच टुकड़े केता द्वारा किये जाते हैं तो जड़ की तरफ से पहला टुकड़ा को 10/1 दूसरा टुकड़ा को 10/2 अंकित किया जायेगा और उसी प्रकार आगे 10/3, 10/4 और 10/5 अंकित किया जायेगा।
- (3) पतले वृक्ष जो पोल, खूँटा एवं जलावन के योग्य होंगे तदनुसार अंकित किया जायेगा।
- (4) केता द्वारा पातन पंजी का प्रपत्र वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा और उसे वन प्रमण्डल पदाधिकारी के निदेशानुसार संधारित किया जायेगा।

प्रत्येक वृक्ष से प्राप्त होने वाले रोलों, पोलों एवं खूँटों की संख्या पंजी में दर्ज करनी होगी। वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आवश्यकतानुसार समय-समय पर पातन पंजी का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे।

- (5) प्रकाष्ठन के बाद केता द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी से सम्यकरूप से पंजीकृत अपने सम्पति चिन्ह (हथौड़ा) काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े पर उसके मोटे सिरे पर लगाना आवश्यक होगा। वन विभाग पासिंग हैमर काष्ठ के उन टुकड़े पर नहीं लगायेगा जिस पर केता के सम्पति चिन्ह न हो।

#### 16. पातित काष्ठ के निष्कासन की प्रक्रिया -

- (1) पातन पट्टी से ही वनोत्पाद (काष्ठ, जलावन, पोल खूँटा आदि) की बिक्री का अधिकार केता को नहीं होगा। कार्यादेश प्राप्ति के अधिकतम तीन माह के कालावधि के भीतर केता को प्रत्येक लॉट के काष्ठ का पातन स्थल पर से निष्कासन सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुज्ञा पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।
- (2) किसी विशेष परिस्थिति में नियत अवधि के भीतर निष्कासन का कार्य पूरा न हो तो केता को उसके लिखित आवेदन पर जिसमें कार्यादेश के विस्तार का कारण एवं औचित्य स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, कार्यादेश विस्तार की अनुमति संबंधित वन संरक्षक द्वारा समीक्षोपरान्त, औचित्य एवं कारण दर्शाते हुए लिखित रूप में दी जा सकेगी। कार्यादेश का अवधि विस्तार केता द्वारा विक्रय मूल्य की शेष राशि का 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करने पर एक बार में अधिकतम 15 दिनों हेतु केता के लिखित आग्रह पर और पुनः 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करने पर वन संरक्षक द्वारा पुनः 15 दिनों के लिए किया जा सकेगा। उसके बाद समय के विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी और अवशेष वन उत्पादों को जमा कर लिया जायेगा। कार्यादेश विस्तार केता का अधिकार नहीं होगा किन्तु केता को सुविधापूर्वक जटिल एवं कठिन के अतिरिक्त का विकल्पवश विद्युत जा सकेगा।

कार्यादेश विस्तार के लिए आवेदन की प्रकृति या प्रसवीकृत करने का अधिकार संबंधित वन संरक्षक क विवेकाधीन होगा।

(3) स्थल पर से पातित वनोत्पाद का परिवहन करते समय कंटा सड़क, बांध एवं नहर आदि के लिए संबंधित पैतृक विभाग के सामान्य निर्देशों का पालन करेंगे और संबंधित विभाग द्वारा प्रतिबंध हो तो भारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे।

(4) आवागमन/परिवहन/भंडारण आदि कार्य हेतु रैयतो की भूमि का उपयोग कंटा संबंधित भू-स्वामी की सहमति से ही करेंगे। वन विभाग पर उक्त क्रियाकलापों के लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी।

(5) सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच की अवधि में वनोपज के परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा।

(6) स्थल पर से वनोपज परिवहन का कोई भी परिवहन अनुज्ञा पत्र सिर्फ मूल कंटा के ही नाम से जारी किया जायेगा।

17. प्रतिभूति राशि की वापसी -

(1) संबंधित वनों के क्षेत्र पदधिकारी से संतोषप्रद कार्य समापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त कंटा को प्रतिभूति राशि वापस की जायेगी।

(2) कंटा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा विभाग को पहुँचायी गयी किसी प्रकार की हानि की वसूली उनकी प्रतिभूति राशि से की जायेगी। फिर भी यदि विभाग को पहुँचायी गयी हानि की राशि प्रतिभूति राशि से अधिक है, तो कंटा से शेष राशि की वसूली विधि सम्मत तरीकों से की जायेगी।

18. सामान्य अनुदेश - इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को प्रतिवेदित किया जायेगा। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक संबंधित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने बाद निर्णय लेंगे तथा आवश्यक आदेश पारित करेंगे जो अंतिम होगा।

(Y. K. 203)